

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 241 सन 2019

अनवान :-

1. जगदीश पुत्र रामेश्वर जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर (हनुमानगढ)
2. आदराम पुत्र रामेश्वर जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र किरसन कुमार जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर  
वादीगण

**बनाम**

1. रामेश्वर पुत्र स्व हरचन्द जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
2. किरसन कुमार पुत्र स्व हरचन्द जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
3. रणजीत पुत्र किरसन कुमार जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
4. भालसिंह पुत्र किरसन कुमार जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
5. सोनादेवी पत्नी स्व हरीसिंह जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
6. जयप्रकाश पुत्र दत्तक पुत्र सोनादेवी पत्नी स्व हरिसिंह जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
7. रुकमा पुत्रीयान स्व हरिसिंह जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
8. कलावती पुत्री स्व हरिसिंह जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
9. सन्तोष देवी पुत्री स्व हरिसिंह जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
10. राममूर्ति पुत्री हरीसिंह जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
11. बिदामी पुत्री हरचन्द जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
12. सन्तरों पुत्री स्व रोशनी पुत्री हरचन्द जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
13. सन्तोष पत्नी स्व दुलीचन्द जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
14. विनोद पुत्र दुलीचन्द जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
15. मांगेराम पुत्र दुलीचन्द जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
16. लक्ष्मी पुत्री दुलीचन्द जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
17. मोहनी पत्नी स्व हरचन्द जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
18. शारदा पुत्री रामेश्वर जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
19. सिलोचना पुत्री रामेश्वर जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
20. सुमन पुत्री रामेश्वर जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
21. इन्द्रा पुत्री किरसन जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
22. सन्तोष पुत्री जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी  
परोकार राज

निर्णय दिनांक :- 05/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 210/198 के खसरा न० 254/7.7510 हैक खसरा न० 256/2 की 7.34170 हैक खसरा न० 312/1 की 9.3700 हैक कुल 24.4680 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी पूर्वज हरिसिंह पुत्र गोविन्दराम नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हरचन्द पुत्र गोविन्दराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के दादा हरचन्द पुत्र गोविन्दराम के देहान्त हो चुका है

वाद भूमि जो हरचन्द पुत्र गोविन्दराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा हरचन्द पुत्र गोविन्दराम के देहान्त हो चुका है हरचन्द के देहान्त होने पर वाद भूमि उसके तीन लडके किरसान कुमार , रामेश्वर , हरिसिंह एवं दो लडकीया बिदामी व रोशनी हुई जिसमें से एक लडकी रोशनी एवं एक लडका हरिसिंह फोट हो चुके हैं इस प्रकार हरचन्द पुत्र गोविन्दराम के जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 है जिनका हरचन्द पुत्र गोविन्दराम की भूमि में बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 11 ता 22 वादी की बहने/बुआ/भानजा/भानजी है प्रतिवादी संख्या 11 ता 22 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि हरचन्द पुत्र गोविन्दराम अर्थात् वादीगण के दादा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है हरचन्द पुत्र गोविन्दराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 जिनका वाद भूमि में बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 11 ता 22 जो वादी की बहने/बुआ/भानजा/भानजी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है ता किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात् उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 210/198 के खसरा न० 254/7. 7510 हैक खसरा न० 256/2 की 7.34170 हैक खसरा न० 312/1 की 9.3700 हैक कुल 24. 4680 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी पूर्वज हरिसिंह पुत्र गोविन्दराम नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हरचन्द पुत्र गोविन्दराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के दादा हरचन्द पुत्र गोविन्दराम के देहान्त हो चुका है

वाद भूमि जो हरचन्द पुत्र गोविन्दराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा हरचन्द पुत्र गोविन्दराम के देहान्त हो चुका है हरचन्द के देहान्त होने पर वाद भूमि उसके तीन लडके किरसान कुमार, रामेश्वर, हरिसिंह एवं दो लडकीया बिदामी व रोशनी हुई जिसमें से एक लडकी रोशनी एवं एक लडका हरिसिंह फोट हो चुके हैं इस प्रकार हरचन्द पुत्र गोविन्दराम के जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 है जिनका हरचन्द पुत्र गोविन्दराम की भूमि में बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 11 ता 22 वादी की बहने/बुआ/भानजा/भानजी है प्रतिवादी संख्या 11 ता 22 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646

उपस्थित  
जरी (राजस्व)  
नोहर (सुभाषका)

प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 7 बारानी के खाता संख्या 112/121 की कुल 7.9930हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज


प्रस्तुत जमाबन्दीयों के अनुसार वाद भूमि हरचन्द पुत्र गोविन्दराम के नाम से दर्ज है अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा हरचन्द पुत्र गोविन्दराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा हरचन्द पुत्र गोविन्दराम के देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार है जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 से स्वीकार किया है किसी प्रकार का ऐतराज नहीं किया गया है अर्थात वाद भूमि जो हरचन्द पुत्र गोविन्दराम के नाम से दर्ज है हकदार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 जो वाद भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 11 ता 22 जो वादी की बहने/बुआ/भानजा/भानजी है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 11 ता 22 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 11 ता 22 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाप्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 210/198 की कुल 24.4680हैक् भूमि जो हरचन्द पुत्र गोविन्दराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ,2 बहिब 6.578हैक् एवं प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.578हैक् वादीगण संख्या 3 एवं प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब 5.313हैक् प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 2.843हैक् प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 बहिब 8.196हैक् के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु स्टाप्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. जगदीश पुत्र रामेश्वर जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर (हनुमानगढ)
2. आदराम पुत्र रामेश्वर जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र किरसन कुमार जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर

वादीगण

#### बनाम

1. रामेश्वर पुत्र स्व हरचन्द जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
2. किरसन कुमार पुत्र स्व हरचन्द जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
3. रणजीत पुत्र किरसन कुमार जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
4. भालसिंह पुत्र किरसन कुमार जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
5. सोनादेवी पत्नी स्व हरीसिंह जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
6. जयप्रकाश पुत्र दत्तक पुत्र सोनादेवी पत्नी स्व हरिसिंह जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
7. रूकमा पुत्रीयान स्व हरिसिंह जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
8. कलावती पुत्री स्व हरिसिंह जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
9. सन्तोष देवी पुत्री स्व हरिसिंह जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
10. राममूर्ति पुत्री हरीसिंह जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
11. बिदामी पुत्री हरचन्द जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
12. सन्तरों पुत्री स्व रोजनी पुत्री हरचन्द जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
13. सन्तोष पत्नी स्व दुलीचन्द जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
14. विनोद पुत्र दुलीचन्द जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
15. मांगेराम पुत्र दुलीचन्द जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
16. लक्ष्मी पुत्री दुलीचन्द जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
17. मोहनी पत्नी स्व हरचन्द जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
18. शारदा पुत्री रामेश्वर जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
19. सिलोचना पुत्री रामेश्वर जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
20. सुमन पुत्री रामेश्वर जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
21. इन्द्रा पुत्री किरसन जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
22. सन्तोष पुत्री जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 241 सन 2019 निर्णय दिनांक- 5/8/20

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 210/198 की कुल 24.4680हैक भूमि जो हरचन्द पुत्र गोविन्दराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1, 2 बहिब 6.578हैक एव प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.578हैक वादीगण संख्या 3 एव प्रतिवादी संख्या 3, 4 बहिब 5.313हैक प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 2.843हैक प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 बहिब 8.196हैक के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )